निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 101/2018
दायरा दिनांकः–05.06.2018
निर्णय दिनांकः– 12.11.24

उनवान

कैलाश बाई आयु 58 वर्ष पत्नि रामनारायण जाति चमार निवासी ग्राम रसुलपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

सरकार जर्ये पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 12.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 23 की खसरा नंबर 9 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा वाके माल मवासाव्यास तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०) में स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 है। जिस पर प्रार्थीया गत कई वर्षों से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम रामनारायण तथा रामनारायण ही पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशनकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है। जबकि हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया के पति रामनारायण के नाम स्थान पर प्रार्थीया के पिता नवला का नाम दर्ज हो गया है। जिसे सही कर प्रार्थीया के पिता नवला की जगह पति रामनारायण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में रामनारायण दर्ज होने से प्रार्थीया को किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है एवं पहचान पत्र व राशनकार्ड में कैलाशबाई पत्नी रामनारायण दर्ज होने एवं राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम नवला दर्ज होने के कारण इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमि के खाते में अपने पति के नाम की त्रुटि की जानकारी दिनांक 18.05.2018 को हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अपने खाते की नकल लेने गई तो उसे उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। यही तिथि बिनायदावा कायम की जाती है। प्रार्थीया एक गरीब काश्तकार महिला है। जिसके पास उक्त कृषि भूमि है। जो अपने परिवार के जीविकोपार्जन का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

एकमात्र साधन है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। विवादग्रस्त भूमि वाके माल मवासाव्यास तहसील छबडा में स्थित होने से उक्त वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मवासा व्यास सम्वत् 2072–75 संख्या संख्या 23 पेश की गई। फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कैलाशी बाई फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मवासा व्यास तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 है जिस पर प्रार्थीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम रामनारायण है। पहचान पत्र आधार कार्ड व राशन कार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजात में रामनारायण दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व रिकार्ड में पति का नाम दर्ज करना चाहिये था। राजस्व रिकार्ड में पिता के नाम के स्थान पर पति रामनारायण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता नवल का नाम दर्ज होने से प्रार्थीया का सरकारी सहायता से व किसान क्रेडित कार्ड से वंचित होना पड रहा है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मवासर व्यास सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 23 के अनुसार कैलाश पुत्री नवल हिस्सा 1/3 दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड में कैलाशी बाई पत्नि रामनारायण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम रामनारायण तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता का नाम वल्दियत में अंकित है प्रार्थीया अपने पिता नवला के स्थान पर पति रामनारायण का नाम दर्ज करवानना चाहती है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम मवासा व्यास तहसील छबडा में प्रार्थीया की भूमि है जो उनके पिता (नवला) की मृत्यु उपरान्त विरासत में नामान्तरण संख्या 70 सन् 1978 के जर्ये उसे (प्रार्थीया) मिली जिसमें उसकी वल्दियत में पिता का नाम आया जो विरासत से आई भूमि का संकेत है लेकिन प्रार्थीया अपने पिता के नाम नवला के स्थान पर पति रामनारायण का नाम दर्ज करवाना चाहती है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रार्थीया अपने पिता नवला के स्थान पर पति रामनारायण दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मवासा व्यास तहसील छबडा के खसरा नम्बर 9 रकबा 4.14 वीघा में प्रार्थीया के पिता नवला के स्थान पर पति रामनारायण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा